

**कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।**  
पत्रांक २२/५/१५- बिजनौर, दिनांक, जनवरी, ०५, २०१६।  
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उ०प्र० लखनऊ।

**विषय :-** मैं० एस्सार ऑयल लिमिटेड नोएडा द्वारा नहटौर-नूरपुर-जोया-अमरोहा मार्ग किमी० २६.४०० की दायी पटरी पर ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़ तहसील चौदपुर जिला बिजनौर के खसरा संख्या १४७ में प्रस्तावित पैट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) प्रभावित वन भूमि ०.०७५१ हे० विना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

**संदर्भ :-** **Online submission file no. FP/UP/OTHER/15797/2015**  
**महोदय,**

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा **Online submission file no. FP/UP/OTHER/15797/2015** में सी००१ के०एम०एल० फाइल अन्य विवरण आदि मागा गया है, के संबंध में आख्या निम्न प्रकार है :-

"It is to certify that as per joint inspection report which is attachment-4. There is no density of vegetation (trees) in the forest land which has to be used by the user agency for the purpose of entry & exit. Therefor cutting and felling of trees (vegetation) is not required. In this view according to guidelines of form part-II at serial no.4 (II) compensatory afforestation is not required.

महोदय,  
(सलिल कुमार शुक्ला)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बिजनौर।

**पत्रांक** / **उक्तदिनांकित।**

प्रतिलिपि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(सलिल कुमार शुक्ला)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बिजनौर।